

प्रेषक,

ए०ए०स० पौष्टी,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून : दिनांक ०३ जनवरी, २०१७

विषय— वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के अन्तर्गत ०३ कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षेत्रों का, लोकनिर्माण, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये ०३ कार्यों के प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी लम्बाई १३.०० किमी एवं लागत ₹ १३९.३२ लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ १३९.३२ लाख (₹ एक करोड़ उन्नालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में प्रति कार्य ₹ ०.१० लाख अर्थात् कुल ०३ कार्यों हेतु ₹ ०.३० (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i)— उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-१७६४ / ११(२) / १०-१७(सामान्य) / २००८ दिनांक १७ जून, २०१० की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आग्रण तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-२००८ एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-२०४७ / XIV-२१९(२००६) दिनांक ३०-०५-२००६ द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफिटंग आदि मदों के सम्बद्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-२२ लेखाशीर्षक-५०५४ सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-०४ जिला तथा अन्य सङ्कों-आयोजनागत-८००-अन्य व्यय-०५-सङ्कक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-००

-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीशक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-488 / XXVII/(2)/2016 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

संख्या:- / 111(2) / 17-04(एम०एल०ए०) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रका०, लोनिवि०, पौड़ी।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड।

उप सचिव
(ए०एस० पांगती)

संख्या-3278 / 111(2) / 17-04(एम०एल०ए०) / 2015 दिनांक ३ जनवरी, 2017 का सुलझाका । १७/८/२०१७
 (धनराशि लाख ₹ में)

16

क्र. सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़-डाड़ों मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	48.35	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाणा-स्यालतरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	48.35	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत राठड़ोका० चौण्डी से विरस्त सेरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	42.62	0.10
कुल		13.00	139.32	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(ए०ए०स० पांगती)

उप सचिव

प्राप्ति

कार्यालय
अधीक्षण अधिकारी

स्थानीय वस्तु लौ० दिं० ५

मोटर

पुल सं० ११०/४१ आठ-८/०१/१७ टिं० ११/०१/०१

प्रतिलिपि:- आध०० अधिकारी निः० रवाङ्ग लौ० निः० लिं०

चाकरी की चाकरी की छाकरी छाकरी

प्रतिलिपि:- कानू० आधिकारी प्रतिलिपि द्वारा की छाकरी

प्रति.

प्रति.
आध०० अधिकारी निः० लिं०
द्वारा